भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 491
उत्तर देने की तारीख : 06.02.2024

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों की मृत्यु

491. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में शहरी निकायों में कार्यरत कई कर्मचारियों ने सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय अपनी जान गंवाई है;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान सीवर सफाई प्रक्रिया के दौरान कुल कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई;
(ग) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित सुरक्षा सावधानियों का पालन नहीं करने के क्या कारण हैं; और
(घ) क्या नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सीवरों और सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई को रोकने के लिए आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और कोई कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): गत तीन वर्षों (अर्थात् 01 जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2024 तक) के दौरान महाराष्ट्र राज्य से सीवर तथा सेप्टिक टैंकों की परिसंकटमय सफाई के कारण 33 मौतों की सूचना प्राप्त हुई है। इन 33 मौतों के आंकड़ों में शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की मौत के मामले भी शामिल हैं।

(ग): हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियमावली, 2013 में निर्धारित सुरक्षावधानियों को लागू करने के लिए भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को निर्देश जारी करती है।

(घ): राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा सफाई कार्यों के मशीनीकरण के लिए स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवी) के अंतर्गत सफाई उपकरणों तथा वाहनों की खरीद के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में पूंजीगत सब्सिडी के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को वितीय सहायता प्रदान कर रहा है।

******